

(भारत के राजपत्र के भाग I के खण्ड II में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
(पीसी प्रभाग)

कमरा नं. 216 जे, द्वितीय तल, डी विंग,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 18th मई, 2022

अधिसूचना

इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 11036/19/2020-पीसी दिनांक 24.11.2021 के अधिक्रमण में और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (1) के अनुसार, उपर्युक्त अधिसूचना के क्र.सं. 15 और 17 के सामने उल्लिखित मंत्रालय के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके द्वारा निपटाए जा रहे विशेष मामलों के संबंध में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के रूप में नामित किया गया है।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दी गई समय सीमा में सूचना का अधिकार आवेदनपत्र/पत्रों पर कार्रवाई करने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (1) के अनुसार अन्य केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के छुट्टी/दौरे आदि पर होने पर क्र.सं. 15 और 17 के सामने निम्नलिखित विद्यमान प्रविष्टियों नामतः लिंक केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को पुनः प्रतिस्थापित किया जाएगा : -

क्र.सं.	सीपीआईओ	लिंक सीपीआईओ
15.	श्री एस.जी. टिमोथी, एसओ (सीएलएम)	श्री कामराज मलिक, एसओ (एफआरए)
17.	श्री कामराज मलिक, एसओ (एफआरए)	श्री एस.जी. टिमोथी, एसओ (सीएलएम)


फा.सं.11036/19/2020-पीसी
(मनोज कुमार सिंह)
उप सचिव

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,
मिंटो रोड, नई दिल्ली

प्रतिलिपि: एसओ/सीपीआईओ (सीएलएम/एफआरए)